सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
श्रावण 17, मंगलवार, *शाके* 1945-अगस्त 08, 2023 *Sravana 17, Tuesday , Saka 1945- August 08, 2023*	

भाग 1 (क)

नियुक्तियों, छुटिटयों आदि के संबंध में समस्त विज्ञप्तियों।

कृषि/1-ग्रुप(इनपुट विभाग)

अधिसूचना

जयपुर, मई 01, 2023

संख्या प. 12(8) कृषि-1/इनपुट/2022

1. इस विभाग द्वारा इस निमित्त पूर्व में जारी की गई समस्त अधिसूचनाओं को अधिक्रमित करते हुए एवं उर्वरक (अकार्बनिक, जैविक और मिश्रित) (नियंत्रण) आदेश, 1985 के खण्ड 28बी (1 और 2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार एतद्द्वारा निम्नलिखित अधिकारियों को उक्त खण्ड के प्रयोजन के लिए उनके सामने वर्णित क्षेत्र हेतु प्राधिकारी नियुक्त करती है:-

क्र.सं.	पदनाम	प्राधिकारी हेतु अधिकारिता क्षैत्र
1	अतिरिक्त निदेशक कृषि (आदान), कृषि आयुक्तालय, जयपुर	राज्य के समस्त खण्डीय अतिरिक्त निदेशक कृषि (वि0/ति0) एवं कृषि आयुक्तालय स्तर के अधिसूचित उर्वरक निरीक्षकों के द्वारा आहरित नमूनों के दूसरे भाग व रैफरी (अंतिम) नमूनों को विश्लेषण के लिए भिजवाने हेतु प्राधिकारी।
2	समस्त खण्डीय अतिरिक्त निदेशक कृषि (वि0/ति0)	स्वयं के अधिकारिता क्षैत्र के अधिसूचित उर्वरक निरीक्षकों के द्वारा आहरित नमूनों के दूसरे भाग व रैफरी (अंतिम) नमूनों को विश्लेषण के लिए भिजवाने हेतु प्राधिकारी। खण्डीय अतिरिक्त निदेशक कृषि (वि0) कोटा व बीकानेर के अधिकारिता क्षैत्र में क्रमश: सीएडी, कोटा व इ.गा.न.प., बीकानेर क्षैत्र के अधिसूचित उर्वरक निरीक्षकों के द्वारा आहरित नमूनों के दूसरे भाग व रैफरी (अंतिम) नमूनों को विश्लेषण के लिए भिजवाने हेतु प्राधिकारी।

2. इस विभाग द्वारा इस निमित्त पूर्व में जारी की गई समस्त अधिसूचनाओं को अधिक्रमित करते हुएएवं उर्वरक (अकार्बनिक, जैविक और मिश्रित) (नियंत्रण) आदेश, 1985 की खण्ड 32क (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार एतद्द्वारा आयुक्त/निदेशक कृषि को राजस्थान राज्य में उक्त खण्ड के प्रयोजन के लिए अपीलीय प्राधिकारी नियुक्त करती है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

मूलचन्द,

संयुक्त शासन सचिव, कृषि।

Agriculture (Group-1/Input Department)

Notification

Jaipur, May 01, 2023

No. P.12(8) Agriculture-1/Input/2022 .-

1. In supersession of all earlier notifications issued by this deptt. in this regard and in exercise of the powers conferred by The Fertilizer (Inorganic, Organic and Mixed) (Control) Order 1985 clause 28B (1&2), State Government hereby appoints the following officers as Authority for the purpose, under above said clause for the areas mentioned against them:-

S.No.	Designation	Jurisdiction of Authority
1	Additional Director Agriculture (Input), Agriculture Commissionerate, Jaipur	Authority for sending second part and referee (final) samples for analysis, drawn by all Divisional Additional Director Agriculture (Ext./Oilseed) of the state and Agriculture Commissionerate level notified Fertilizer Inspectors.
2	All Divisional Additional Director Agriculture (Ext./Oilseed)	Authority for sending second part and referee (final) samples for analysis, drawn by notified Fertilizer Inspectors of own jurisdiction. Authority for sending second part and referee (final) samples for analysis, drawn by notified fertilizer inspectors of the CAD, Kota and I.G.N.P.,Bikaner area will also be included in the jurisdiction of Divisional Additional Director Agriculture (Ext.), Kota and Bikaner, respectively.

2. In supersession of all earlier notifications issued by this deptt. in this regard and in exercise of the powers conferred by Fertilizers (Inorganic, Organic and Mixed) (Control) Order 1985 clause 32A(3), State Government hereby appoints the Commissioner/ Director, Agriculture as Appellate Authority for the purpose, under above said clause in the State of Rajasthan.

By order of the Governor,

Mool Chand,
Joint Secretary, Agriculture.

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।